

राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर.

अपील संख्या – 701 / 2012 / झुंझुनूं

वाणिज्यिक कर अधिकारी, प्रतिकरापवंचन, झुंझुनूं

.....अपीलार्थी.

बनाम

मैसर्स गुप्ता बर्टन भण्डार, झुंझुनूं

.....प्रत्यर्थी.

एकलपीठ

श्री जे. आर. लोहिया, सदस्य

उपस्थित :

श्री एन. एस. राठौड़,

उप राजकीय अभिभाषक

.....अपीलार्थी की ओर से.

श्री वी. सी. सोगानी, अभिभाषक

.....प्रत्यर्थी की ओर से.

निर्णय दिनांक : 6 / 6 / 2014

निर्णय

यह अपील वाणिज्यिक कर अधिकारी, प्रतिकरापवंचन, झुंझुनूं (जिसे आगे 'कर निर्धारण अधिकारी' कहा जायेगा) द्वारा उपायुक्त (अपील्स), वाणिज्यिक कर बीकानेर (जिसे आगे 'अपीलीय अधिकारी' कहा गया है) के अपील संख्या 225 / आरवैट / झुंझुनूं / 10-11 में पारित किये गये आदेश दिनांक 01.07.2011 के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। अपीलीय अधिकारी ने उक्त आदेश से प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा कर निर्धारण अधिकारी के राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (जिसे आगे 'वेट अधिनियम' कहा जायेगा) की धारा 25, 59, 61, 55 व 75(8) के तहत पारित किये गये आदेश दिनांक 27.7.2010 के विरुद्ध प्रस्तुत अपील को आंशिक रूप से स्वीकार किया है।


प्रकरण के सुसंगत तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि प्रत्यर्थी व्यवहारी के व्यवसाय स्थल का सर्वेक्षण दिनांक 19.01.2010 को सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी, घट-प्रथम, प्रतिकरापवंचन, झुंझुनूं (जिसे आगे 'जांच अधिकारी' कहा जायेगा) द्वारा किया गया था। वक्त सर्वेक्षण व्यवसाय से सम्बन्धित नियमित लेखा-पुस्तकें उपलब्ध नहीं पाई गई। जांच अधिकारी ने व्यवसाय स्थल पर पाये गये माल का भौतिक सत्यापन करने पर पाया कि व्यवहारी ने कुछ कर योग्य माल सूत व कपड़े की चिंदियों से बनी रस्सी को करमुक्त घोषित कर रखा है। भौतिक रूप से पाये गये स्टॉक का लेखा-पुस्तकों से सत्यापन हेतु अवसर प्रदान किया गया, लेकिन बहियात पेश नहीं की गई। जांच अधिकारी के समक्ष दिनांक 15.7.2010 को पेश किये गये ट्रेडिंग एकाउण्ट की जांच पर रूपये 69,759/- के कर योग्य माल का खरीद प्रमाण नहीं पाया गया। 4 प्रतिशत कर योग्य माल रूपये 3,80,822/-, 14 प्रतिशत कर योग्य माल रूपये

लगातार.....2

65,414/- एवं 4 प्रतिशत कर योग्य रस्सी रूपये 24,160/- स्टॉक में कम पाई गई। करापवंचन का प्रकरण पाये जाने पर पत्रावली जांच अधिकारी से कर निर्धारण अधिकारी को स्थानान्तरित की गई। कर निर्धारण अधिकारी ने दिनांक 15.7.2010 को अधिनियम की धारा 59, 75(8), 61 व 55 के तहत नोटिस जारी कर उक्त कम पाये गये स्टॉक तथा जूल रूपये 2700/-, रेशमी निवार रूपये 1875/- व 1200/- व प्लास्टिक तिरपाल रूपये 1200/- के खरीद बिलों के अभाव में अधिक पाये जाने के कारण धारा 75(8) के तहत तथा लेखा-पुस्तकें प्रस्तुत नहीं करने के कारण धारा 59 के तहत शास्ति आरोपण का कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। कर निर्धारण अधिकारी ने व्यवहारी द्वारा प्रस्तुत जवाब पर विचार करने के उपरान्त दिनांक 1.4.2009 से 19.01.2010 की अवधि का कर निर्धारण अन्तर्गत धारा 25, 59, 61, 55 व 75(8) पारित कर उचंति व छुपाई गई बिक्री रूपये 4,45,480/- पर 4 प्रतिशत की दर से कर, रूपये 71,955/- पर 14 प्रतिशत की दर से, कुल कर रूपये 27,893/- आरोपित किया। धारा 61 के तहत करापवंचन के अभियोग में शास्ति रूपये 61,786/-, धारा 59 के तहत शास्ति रूपये 5000/-, धारा 75(8) के तहत शास्ति रूपये रूपये 1395/- तथा कर देरी से जमा होने के कारण धारा 55 के तहत ब्याज रूपये 2231/- आरोपित कर कुल रूपये 98,305/- की मांग सृजित की गई। कर निर्धारण अधिकारी के आदेश के विरुद्ध अपीलीय अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत अपील को अपीलीय अधिकारी द्वारा आंशिक स्वीकार कर सृजित मांग में से धारा 75(8) व धारा 59 की शास्ति को यथावत रखते हुए करापवंचित बिक्री पर कर, धारा 61 के तहत शास्ति व ब्याज अपास्त किये जाने के विरुद्ध विभाग द्वारा यह अपील प्रस्तुत की गई है।

उभयपक्ष की बहस सुनी गयी।

अपीलार्थी के विद्वान उप-राजकीय अभिभाषक ने कथन किया कि अपीलीय अधिकारी ने सर्वेक्षण के समय दो स्वतंत्र गवाहों के अभाव में सर्वेक्षण को अविधिक बताते हुए विवादित मांग अपास्त की है, जो कि तथ्यों के विपरीत है। फर्द भौतिक सत्यापन शीट पर गवाहों के हस्ताक्षर मौजूद हैं। इसके अलावा अपीलीय अधिकारी ने ही इसी सर्वे के आधार पर बहियात में घोषित माल से भौतिक रूप से अधिक पाये जाने वाले माल के विषय में धारा 75(8) के तहत आरोपित शास्ति को यथावत रखा है। इसलिए इसी सर्वेक्षण में कम पाये जाने वाले माल पर आरोपित कर, शास्ति व ब्याज को अपास्त कर विधिक भूल की है।

 लगातार.....3

विद्वान उप-राजकीय अभिभाषक ने अग्रिम कथन किया कि अपीलीय अधिकारी ने कम पाये गये माल की बिक्री प्रमाणित नहीं होने के आधार पर करापवंचित कर, ब्याज व शास्ति को अपास्त कर विधिक व तथ्यात्मक भूल की है। बहस को आगे बढ़ाते हुए कथन किया कि व्यवहारी द्वारा नियमित लेखा-पुस्तकें कभी पेश नहीं की गई तथा प्रस्तुत ट्रेडिंग एकाउण्ट में घोषित कर योग्य माल से भौतिक रूप से माल कम पाया गया था, जिसका कोई संतोषजनक जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया था। कम पाये गये माल की आगे बिक्री प्रमाणित करने का कर निर्धारण अधिकारी का विधिक दायित्व नहीं है, बल्कि बिक्री नहीं होना प्रमाणित करना व्यवहारी का दायित्व है।

इन आधारों पर अपीलीय आदेश अपास्त किया जाकर कर निर्धारण आदेश बहाल करने का निवेदन किया।

प्रत्यर्थी व्यवहारी के विद्वान अभिभाषक ने अपीलीय अधिकारी के आदेश को स्पष्ट व आख्यात्मक व विधिसम्मत बताते हुए कथन किया कि सर्वे के समय सर्वे फर्द पर जिन व्यक्तियों के हस्ताक्षर हैं, उनके नाम पते आदि उपलब्ध नहीं होने के कारण पहचान योग्य (identifiable) नहीं होने से उन्हें स्वतंत्र गवाह नहीं माना जा सकता, इसलिए माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के डायमण्ड मार्केटिंग प्रकरण 19 टैक्स अपडेट 256 के अनुसरण में राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर नियम, 2006 के नियम 51(1)(बी) की पालना नहीं होने के कारण सर्वेक्षण स्वतः अविधिक हो जाता है, जिसके आधार पर करारोपण नहीं किया जा सकता।

अग्रिम यह भी कथन किया कि सर्वेक्षण के समय कर निर्धारण अधिकारी स्वयं भी व्यवसाय स्थल पर मौजूद थे, जिनके निर्देशन में सर्वेक्षण कार्यवाही की गई थी, इसके पश्चायात जांच के समय भी कर निर्धारण अधिकारी स्वयं प्रकरण में निर्देश देकर जांच अधिकारी से आदेशिका लिखवा रहे थे। इस आशय का शपथपत्र वक्त अपील सुनवाई दिनांक 01.07.2011 को प्रस्तुत किया गया था। आयुक्त, वाणिज्यिक कर के परिपत्र दिनांक 7.8.2009 अनुसार Prosecutor can not be a judge के सिद्धान्त का उल्लंघन करते हुए स्वयं कर निर्धारण अधिकारी ने सर्वे व जांच कार्य किया था तथा कर निर्धारण आदेश भी उन्हीं के द्वारा पारित किया गया है, जो कि नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्त के विपरीत है। इस आधार पर भी अपीलीय अधिकारी द्वारा अपील स्वीकार कर विधिसम्मत आदेश पारित किया है, जिसमें हस्तक्षेप की कोई आवश्यकता नहीं है।

लगातार.....4

उक्त आधारों पर विद्वान अभिभाषक प्रत्यर्थी ने अपील अस्वीकार किये जाने पर बल दिया।

उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं कर निर्धारण अधिकारी की पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली से स्पष्ट होता है कि प्रत्यर्थी व्यवहारी का दिनांक 19.01.2010 को सर्वेक्षण दो गवाहों सर्वश्री जगदीश पुत्र लक्ष्मणसिंह तथा भंवर लाल शर्मा पुत्र राधेश्याम शर्मा तथा फर्म मालिक श्री सुरेश गुप्ता की मौजूदगी में किया गया था। श्री सुरेश गुप्ता ने अपने बयान में भी इस बात का जिक्र किया है कि स्टॉक की सूची दो गवाहों के रूबरू बनाई गई है। दो गवाहों की उपस्थिति में किये गये सर्वेक्षण व स्टॉक टेकिंग को राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर नियम के नियम 51 की पालना होने के कारण विधिसम्मत ठहराया जाता है। विद्वान अभिभाषक प्रत्यर्थी का यह तर्क कि गवाह पहचान योग्य (identifiable) नहीं थे, मान्य नहीं किया जा सकता। अपीलीय अधिकारी का नियम 51(1)(बी) का उल्लंघन मानकर सर्वेक्षण को अविधिक मानना विधिसम्मत नहीं है।

विद्वान अभिभाषक प्रत्यर्थी का यह भी तर्क रहा है कि वक्त सर्वेक्षण कर निर्धारण अधिकारी स्वयं सर्वेक्षण दल को निर्देशित कर रहे थे, रेकॉर्ड से परिलक्षित नहीं होता है। सर्वेक्षण दिनांक 19.01.2010 को किया गया था, जबकि कर निर्धारण अधिकारी स्वयं के सर्वेक्षण में भाग लेने व जांच कार्य में निर्देशन का आक्षेप पहली बार अपील आधारों में व अपील सुनवाई के समय दिनांक 01.07.2011 (शपथपत्र दिनांक 30.6.2011) द्वारा उठाया गया है, इसलिए पश्चातवर्ती सोच के आधार पर आयुक्त, वाणिज्यिक कर के परिपत्र दिनांक 7.8.2009 का उल्लंघन नहीं माना जा सकता।


विद्वान अभिभाषक प्रत्यर्थी का यह भी तर्क रहा है कि कर निर्धारण अधिकारी ने कम पाये गये स्टॉक की बिक्री होना प्रमाणित नहीं किया है तथा अनुमानित कीमत के आधार पर करापवंचन माना है। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि भौतिक सत्यापन फर्द पर माल की नग/वजन अनुसार गणना दो गवाहों की उपस्थिति में की गई है। उल्लेखनीय है कि व्यवहारी द्वारा निमित लेखा-पुस्तकों वास्ते सत्यापन कभी पेश नहीं की गई, इसलिए कर निर्धारण अधिकारी ने ट्रेडिंग एकाउण्ट में घोषित खरीद मूल्य व घोषित लाभांश को जोड़कर विक्रय मानकर कोई विधिक भूल नहीं की है। अपीलीय अधिकारी ने इस तथ्य को भली भांति विचारित नहीं कर विधिक भूल की है। ट्रेडिंग एकाउण्ट में घोषित माल से भौतिक रूप से कम पाये गये माल के विषय में

लगातार.....5

स्पष्टीकरण प्रत्यर्थी द्वारा दिया जाना चाहिये कि विवादित माल विक्रय नहीं हुआ है या माल कम नहीं पाया गया है। अपीलीय अधिकारी ने माल के विक्रय किये जाने को प्रमाणित करना कर निर्धारण अधिकारी का दायित्व मानकर विधिक भूल की है। इसलिए इस बिन्दु पर अपीलीय आदेश अपास्तनीय है।

उक्त विवेचन अनुसार अपीलीय आदेश को अपास्त कर कर निर्धारण अधिकारी के आदेश को बहाल करते हुए अपील स्वीकार की जाती है।

निर्णय सुनाया गया।


(जे. आर. लोहिया)
सदस्य। ५।
०६/०६/१५।